अपराध क्र.–2946/2023 पक्षकार– दिलावर खान विरूद्ध गोपाल

17.06.2025 परिवादी द्वारा की ओर से श्री आर एस साहू अधिवक्ता।

अभियुक्त अनिर्वाहित ।

प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है।

अभियुक्त को जारी गिरफ्तारी वारंट सकुनत से बाहर होने की टीप सहित अदम तामिल वापस प्राप्त ।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है प्रकरण वर्ष 2023 से लंबित है। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है । किन्तु अभियुक्त के विरूद्ध वारंट की तामिली नहीं हुई है, तथा थाना प्रभारी की ओर से अभियुक्त के निकट भविष्य में मिलने की संभावना के संबंध में कोई प्रतिवेदन पेश नहीं है। अतः धारा 299 दप्रसं के तहत आरोपी को फरार घोषित किया जाता है । अतः अभियुक्त के विरूद्ध अविलम्ब बेमियादी गिरफ्तारी वारंट **"प्रथम उपस्थिति की टीप के साथ"** जारी किया जावे।

परिणाम दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत अवधि में प्रकरण ''सुरक्षित रखे जाने योग्य अभिलेख'' की टीप के साथ अभिलेखागार भेजी जावे।

सही/–

(राजेश्वरी सूर्यवंशी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–कबीरधाम(कवर्धा)